कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ0प्र0।

परिपत्रांकः सी– 31-08 /अधि0–2 दिनॉक लखनऊ 11, मई 2015

1. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,
   सहकारिता, उ0प्र0।
2. सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   समस्त जिला सहकारी बैंक लि0, उ0प्र0।
3. समस्त जिला प्रबन्धक,
   पी0सी0एफ0, उ0प्र0।

विषयः– खरीफ अभियान 2015–16 में उर्वरको की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु समितियों की कैश एण्ड कैरी ऋण सीमा को 2 गुनी किये जाने के सम्बन्ध में।

खरीफ अभियान 2015–16 में कृषको को उनकी आवश्यकतानुसार समय पर कृषि–निवेश उपलब्ध कराने तथा पीक सीजन के पूर्व ही समितियों की भण्डारण क्षमता व आवश्यकता के अनुरूप समितियों के गोदामों में पर्याप्त उर्वरक भण्डारण सुनिश्चित कराने हेतु समितियों की दृष्टिबन्धक कैश एण्ड कैरी ऋण सीमा को माह सितम्बर 2015 तक के लिये 2 गुना किया जाता है।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए खरीफ अभियान 2015–16 में कृषको को उनकी मॉग के अनुरूप समय से उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। अन्य प्राविधान पूर्व में निर्गत परिपत्र के अनुसार यथावत प्रभावी रहेंगे।

(शैलेश कृष्ण),
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

पत्रांक 31-08 /अधि0–2 दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव (कृषि), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव (सहकारिता), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0, लखनऊ।
6. राज्य विपणन प्रबन्धक, इफको, 8 गोखले मार्ग, लखनऊ।
7. वरिष्ठ राज्य विपणन प्रबन्धक, कृभकों, 21 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
8. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, पी0सी0एफ0, उ0प्र0।
9. समस्त उप आयुक्त एवं उप निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0।
10. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (कृषि–निवेश), सहकारिता, उ0प्र0।

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।